

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिकप्रकरण क्रमांक-208 / 15

संस्थापित दिनांक 29 / 04 / 15

फाईलिंग नं. 233504001842015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

कुंवरलाल पिता मंजू उम्र 46 वर्ष,
 जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि० ग्राम बरसाली,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-16 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 22/02/15 समय रात्रि 10:00 बजे या उसके लगभग ग्राम बरसाली दुर्जीलाल यादव के घर के पास, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी महेश कुमार और अन्य को क्षोभ कारित किया, आपने फरियादी महेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, आपने फरियादी महेश कसार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22/02/15 को रात करीबन 8 बजे दुर्जीलाल के यहां उसकी लड़की शिला की शादी में गया था, वहां से रात करीबन 10 बजे उसके घर वापस आ रहा था कि उसके गांव का कुंवर गोंड उसे शराब पीकर माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा, बोला कौन है, कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला वह महेश है, उसे गालियाँ क्यों दे रहा है, तो उसने उसे लकड़ी से बांधे तरफ कान के पास मारा, जिससे कान में चोट आकर खून निकला है। घटना साहबलाल और सुभाष लौहार ने देखा है। कुंवर ने उसे बोला कि अगर उसके खिलाफ थाना में रिपोर्ट करेगा तो उसे जान से मारकर खतम कर देगा, ऐसी धमकी दिया। सुभाष लौहार ने उसे उसके घर तक पहुँचाया। घटना की बात उसकी माँ नरसम्माबाई को बताया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप०क्र०-89/15 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० धारा-294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 25.02.15 को नक्शा मौका प्र०पी० 5 तैयार

किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- "क्या आपने दिनांक 22/02/15 समय रात्रि 10:00 बजे या उसके लगभग ग्राम बरसाली दुर्जीलाल यादव के घर के पास, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी महेश कुमार और अन्य को क्षोभ कारित किया?"

2- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी महेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?"

3- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी महेश कसार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :- विचारणीय प्रश्न क0 2 का निराकरण

6- अभियोजन साक्षी नरसम्माबाई (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि महेश भी घायल अवस्था में बैठा मिला उसके कान के पास से खून निकल रहा था पूछने पर बताया कि कुंवरलाल ने मारपीट किया है। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रहें हैं। साथ ही इस गवाह के 161 द0प्र0सं0 के कथनों से भी यह स्पष्ट है कि उसे उसके लड़के महेश के द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त कुंवरलाल ने लकड़ी से मारपीट किया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी कुंवरलाल के द्वारा मारपीट करने के तथ्यों का उल्लेख है। और बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा के कथनों से लोप कराया गया है, किन्तु उक्त लोप से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त कुंवरलाल के द्वारा आहत महेश के साथ मारपीट नहीं की गई है। क्योंकि इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि महेश के कान के पास से खून निकल रहा था, जो कि अभियुक्त कुंवरलाल के द्वारा मारपीट करने के तथ्य स्पष्ट करते हैं।

7- अभियोजन साक्षी डॉ0 एन0के0 रोहित (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 23/02/15 को आहत महेश का परीक्षण किया जिसके बांये कान पर 2 गुणित 1 गुणित 1 से0मी0 आकार का फटा हुआ पाया गया था और कान से खून आ रहा था इस चोट के लिए उसने कान की जांच की सलाह दी थी। उक्त रिपोर्ट 12 से 24 घंटे के अंदर की थी जो उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 3 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिया गया है यदि कोई दौड़ते हुये आये तो बांये कान के बल गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव है, किन्तु उक्त सुझाव अभियोजन साक्षी नरसम्माबाई (अ0सा03) के प्रतिपरीक्षा में नहीं दिया गया है कि उक्त चोट उसके पुत्र

महेश को कान के बल गिरने से ही चोट कारित हुई थी। साथ ही घटना दिनांक 22/02/15 समय 10 बजे की है उक्त दिनांक को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है। डॉ0 के द्वारा उक्त चोट 12 से 24 घंटे के अंदर की होना बताया गया है, जो कि अभियुक्त कुंवरलाल के द्वारा मारपीट करने से बाएं कान पर आहत महेश को चोट कारित करने के तथ्य की पुष्टि होती है।

8— भा0द0वि0 की धारा 323 यह उपबंधित करती है कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा। इस प्रकार उक्त अधिनियम अनुसार स्वेच्छया उपहति अभियुक्त के द्वारा कारित किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रकरण में फरियादी महेश की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। किन्तु उसके समर्थन में अभियोजन पक्ष के द्वारा नरसम्भाबाई (अ0सा03), डॉ0 एन0के0 रोहित (अ0सा04) की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कुंवरलाल के द्वारा फरियादी महेश को लाठी से कान में मारपीट करने से स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। क्योंकि प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा ऐसे कोई तथ्य नहीं लाए हैं कि अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के द्वारा रंजिश वश या किसी अन्य कारण से उसे झूठा फंसाया गया हो।

9— साथ ही अभियुक्त की ओर से अभियुक्त कथन की कंडिका 20 में अपने बचाव में व्यक्त किया गया है कि वह निर्देश है उसे झूठा फंसाया गया है। किन्तु अभिलेख एवं साक्ष्य से ऐसे कोई झूठे तथ्य दर्शित नहीं होते हैं कि फरियादी महेश के द्वारा या अभियोजन पक्ष के द्वारा उसे झूठा फंसाया गया हो, बल्कि अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यही स्पष्ट है कि अभियुक्त कुंवरलाल के द्वारा फरियादी महेश को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई।

10— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य में तात्त्विक विरोधाभाष एवं लोप है। वे प्रकरण में आरोपी की भूमिका के संबंध में पृथक-पृथक रूप से बढ़ाचढ़ाकर कथन कर रहे हैं जिस कारण से इनका साक्ष्य विश्वसनीयता के अयोग्य है। बचाव पक्ष के तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत भारतवर्ष में एक दृढ़ सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं है। शायद ही ऐसा कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य का मिश्रण न हो और उसके द्वारा घटना का बढ़ाचढ़ा कर वर्णन न किया गया हो। ग्रामीण परिवेश के साक्षी स्वभाविक तौर पर आरोपी को ज्यादा सजा दिलाने के उद्देश्य से घटना का बढ़ाचढ़ाकर वर्णन करते हैं परंतु इतने मात्र से उनके संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सत्य-असत्य के मिश्रण में से सत्य भाग को अलग करें और उसके आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के कथनों में जो थोड़े बहुत विरोधाभाष हैं उस आधार पर उनका संपूर्ण साक्ष्य अमान्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस मत का समर्थन न्यायदृष्टांत अब्दुल गनी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1954 एस.सी. 31 एवं न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008 एम.पी.एच.टी. 234 से भी होता है। अतः बचाव पक्ष को प्रस्तुत तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं।

11— अभियोजन साक्षी सुभाष (अ0सा01), अभियोजन साक्षी साहबलाल (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

12— अभियोजन साक्षी डी0एस0 पठारिया (अ0सा05) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 25/02/15 को उसके द्वारा फरियादी महेश कलार की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 5 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27/04/15 को उसने गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 6 साक्षी राजेश एवं दशरथ के समक्ष तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 25/02/15 को फरियादी महेश, साक्षी सुभाष, साक्षी साहेबलाल, साक्षी नरसम्माबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया था जिसमें उसने अपने मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि घटना स्थल का नक्शा मौका उसने थाने में बैठकर बनाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने सुभाष और साहबलाल के ए से ए भाग के कथन उसके मन से लेख किया था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्य घटना घटित होने के तथ्यों की पुष्टि करते हैं।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी महेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 3 का निराकरण

14— अभियोजन साक्षी नरसम्माबाई (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि कुंवरलाल ने उसे गंदी-गंदी गालियाँ दी थी। उक्त साक्षी को किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी है, यह नहीं बताया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई गालियाँ अश्लीलता प्रगट करती थी जिसके कारण फरियादी को क्षोभ कारित हुआ। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

15— अभियोजन साक्षी नरसम्माबाई (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि कुंवरलाल ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दिया। लेकिन उक्त गवाह की साक्ष्य से आगे यह प्रगट नहीं है कि उक्त धमकी का प्रभाव फरियादी पर पड़ा हो, इस प्रकार के भी कोई तथ्य नहीं है जिनसे यह प्रगट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई धमकी वास्तविक थी आपराधिक अभित्रास के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शाब्दिक धमकी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के तथ्य व परिस्थिति प्रकट होने चाहिए जिससे यह आशय निकले की अभियुक्त की धमकी वास्तविक थी और फरियादी उस धमकी से प्रभावित हुआ था और उस धमकी का असर उस पर पड़ा और उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई कि अभियुक्त उसकी जान के लिए खतरनाक के लिए कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से धारा 506 भाग-2 के लिए आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न क्रं 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

16— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी महेश को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द

उच्चारित किए जिससे फरियादी महेश कुमार और अन्य को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी महेश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त कुंवरलाल को भा०द०वि० की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा०द०वि० की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त कुंवरलाल को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल म०प्र०

17- सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री के०एल० सोलंकी ने व्यक्त किया कि उसका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त 46 वर्ष का व्यक्ति है। वह विचारण में लगभग दो वर्षों से भाग लेते रहा है घर में उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके जेल जाने से उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त को कारावास से दंडित न करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री पंकज रघुवंशी के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

18- अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी महेश को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है। अभियुक्त 46 वर्ष का होकर उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं अभियुक्त प्रकरण में लगभग दो वर्ष से विचारण में भाग लेते रहा है। उसकी की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः अभियुक्त कुंवरलाल को भा०द०वि० की धारा 323 के अपराध के आरोप में 500/- (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 (एक) माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत कुल राशि 500/- रुपये में से फरियादी महेश को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 300/- रुपये की राशि प्रदान की जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

20- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया दिनांकित
गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

(धनकुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

(6)

दा०प्र०क०-208 / 15